उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-14

संख्या-141/2021/603/तेईस-14-2021-29आ0पू0वि0नि0/17

लखनऊ: दिनांक- 26 मार्च, 2021

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-254/2020/797/23-14-2020-29आ0पू0वि0नि0/17, दिनांक 22.12.2020 द्वारा जनपद-बलरामपुर की एक परियोजना-हृदयनगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य के संबंध में स्वीकृत धनराशि रू0 32.90 लाख में अनुदान संख्या-56 के स्थान पर अनुदान संख्या-83 त्रुटिवश अंकित हो गया है । उक्त शासनादेश में दिनांक 22.12.2020 में अनुदान संख्या-83 के स्थान पर अनुदान संख्या-56 पढ़ा जाय एवं इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22.12.2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शासनादेश दिनांक 22.12.2020 में प्रस्तर-4 (13) की शर्त को छोड़कर अन्य शर्ते एवं विवरण यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-141/2021/603(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर ।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा ।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर ।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in